बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आ दे श

विषय : मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं एवं युवतियों को सूक्ष्य एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि 102.50 करोड़ की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु आदेश ज्ञापांक 12 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों के परियोजना लागत की स्वीकृति तथा विमुक्ति में विलम्ब हो रहा है। अतः प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके आलोक में आदेश ज्ञापांक 12 दिनांक 02.01.2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है :–

1. योजनान्तर्गत योग्य युवा एवं युवतियो से वेबसाईट www.udyog.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

2. संकल्प की कंडिका–3 में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

3. चयन समिति द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक संस्थानों का चयन किया जायेगा। प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का अनुमोदन चयन समिति की अनुशंसा पर बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत आवेदकों को उपलब्ध कराये गये स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों की सूची चयन समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इकाईयों की सूची में चयन समिति समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

5. तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा इस योजना के तहत प्रशिक्षणार्थियों की सूची चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण–पत्रों यथा– जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि प्रमाण–पत्र(मैट्रीक) तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र का इसकी मूल प्रति से मिलान कर आश्वत हो लेने के उपरान्त प्रशिक्षण के लिए अनुमति दी जायेगी।

6. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्रशिक्षण समापन प्रतिवेदन, मूल्यांकन प्रतिवेदन (Evaluation Sheet) तथा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित ऋण संबंधी अनुबंध पत्र एव रद्द चेक उद्योग विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त इन कागजातों के आधार पर नोडल पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता एवं प्रथम किस्त की विमुक्ति की स्वीकृति दी जायेगी।

7. योजनान्तर्गत राशि की विमुक्ति 03(तीन) चरणों में की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के उपरान्त 25 प्रतिशत अधिकतम रू0. 2.5 लाख किया जायेगा। उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था तथा शेड के निर्माण के उपरान्त द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0. 5.00 लाख विमुक्त किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी के स्थापना एवं प्रथम एवं द्वितीय किस्त के उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत अधिकतम रू0. 2.5 लाख का भुगतान किया जायेगा।

8. वित्तीय सहायता के रूप में प्रथम किस्त के भुगतान के उपरान्त संबंधित जिला के महाप्रबंधक उद्यमी के कार्यस्थल का निरीक्षण कर विमुक्त राशि की उपयोगिता के आधार पर द्वितीय किस्त/तृतीय किस्त की विमुक्ति हेतु विहित प्रपत्र (एनेक्चर–II) में अनुशंसा करेंगे।

9. संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विमुक्त प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुशंसा निदेशक, तकनीकी विकास को भेजा जायेगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के अनुशंसा के आधार पर निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा द्वितीय किस्त/तृतीय किस्त की विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

10. स्वीकृत परियोजना राशि के व्यय एवं परियोजना के प्रगति का अनुश्रवण संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा एवं मासिक प्रतिवेदन तकनीकी विकास निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. इस आदेश का अनुपालन संबंधित विभागीय पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं लाभार्थियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 238 पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सीडी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500(पॉच सौ) प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 238 पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/माननीय मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र/सभी महाप्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 238 पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 238 पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 238 पटना, दिनांक : 22.01.19

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।